भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1122**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022/31 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

1122. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को उर्वरक सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि उर्वरक सब्सिडी पर डी.बी.टी. से देश में उर्वरक की उपलब्धता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने किसानों को उर्वरक सब्सिडी के रूप में डी.बी.टी. प्रदान की गई है; और
(ड.) क्या सरकार को कुछ क्षेत्रों से डी.बी.टी. के कथित दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (घ): 'उर्वरक में डीबीटी' प्रणाली के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता दुकान पर लगाए गए पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कम्पनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जाती है। राजसहायता प्राप्त उर्वरक की बिक्री 'नो डिनायल बेसिस' पर की जाती है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान उर्वरकों की खरीद करने वाले क्रेताओं की संख्या क्रमश: 4.52 करोड़ और 6.66 करोड़ है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। वास्तव में उर्वरकों में डीबीटी के तहत सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी देश भर में वास्तविक समय आधार पर 'एकीकृत उर्वरक संचलन प्रणाली' (आईएफएमएस) नामक ऑनलॉइन वेब आधारित प्रणाली की सहायता से की जाती है। यह विभाग और सभी हितधारकों को देश में वास्तविक समय आधार पर राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के उत्पादन, आवश्यकता, उपलब्धता, संचलन और बिक्री का आकलन करने और सुविचारित निर्णय लेने में समर्थ बनाती है।

(ड.): जी नहीं, इस विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

******